[Shri Morarji Desai]

very short term bank deposits and minimum rates for one-year deposits and savings deposits have been reduced. It has also been decided to reduce the rate of interest on 91 days' Treasury bills from 3½ per cent to 3 per cent. We expect that the structure of interest rates will soon get adjusted to the new Bank rate in a manner conducive to the flow of adequate credit into desired directions.

The cooperative sector obtains at present refinance facilities from the Reserve Bank at preferential rates which are 1½ per cent to 2 per cent below the Bank rate. They would continue to enjoy this margin of preference in relation to the new Bank rate.

It is my earnest hope that productive effort in general will be encouraged by these measures. In the last analysis, it is only by greater production that we can curb inflationary pressures or meet the threat of such pressures emerging again in the economy. The Reserve Bank will no doubt continue to employ selective credit controls to the extent necessary to ensure that the credit resources are not used for unproductive purposes.

12·25 hrs.

RE. STATEMENT ON KUCHCHATIVU

MR. SPEAKER : The Prime Minister will make a statement about Ceylon which I had asked her to do on Friday. She is perhaps making it in the Rajya Sabha. The moment she comes here at 12.30 or so, she will do it.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): Why first in the Rajya Sabha?

MR. SPEAKER : She had questions to answer there and we were busy here. It is only a matter of two or three minutes only; it is not a question of a day. Meanwhile, I have allowed Shri Atal Bihari Vajpayee to raise under rule 377 a matter.

12·25½ hrs.

RE. AWARD OF KUTCH TRIBUNAL

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): नियम 377 के अन्तर्गत मैं प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ।

प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस सदन और संसद् की स्वीकृति के बिना कच्छ निर्णय को लागू करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का अधिकार रखती है? यह सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है या नहीं ? या जेनेवा में बुलाये गये एक टाइम टेबुल के अनुसार सारी लोकतंत्रीय मान्यताओं को और संसद् की प्रक्रियाओं को ताक पर रखने के लिए उतारू है ; अभी तक संसद् को कच्छ के निर्णय पर चर्चा करने का पूरा मौका नहीं मिला है। दूसरे सदन में तो अभी तक इस विषय पर चर्चा ही नहीं हुई है । इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होते समय कच्छ के निर्णय का हवाला दिया गया था। लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव के गिरने का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता कि इस सदन ने या संसद् ने सरकार को कच्छ निर्णय को लागू करने की छूट दे दी है। सचमुच में सरकार को स्वयं एक निश्चित प्रस्ताव लाना चाहिये था और कच्छ के निर्णय पर विचार करने के लिए सदन को अपना स्पष्ट मत प्रकट करने के लिए कहना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने हमें सूचना दी है कि सदन के चार सम्मानित सदस्य भारत पाक वार्ता आरम्भ करने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं । अब अगर बाहर दफा 144 लगा कर सरकार जनमत का गला घोंटेगी और संसद् को भी पूरी बहस का मौका नहीं दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा ।

कुछ माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी मांग थी कि अगर सरकार इस निर्णय को लागू करना चाहती है तो फिर संविधान में संशोधन करे। अगर संविधान में संशोधन करने के हमारे सुझाव से सहमत नहीं है तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय ले। लेकिन सरकार संविधान में संशोधन करने